FIRST INFORMATION REPORT

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला ....चूरू......... थाना.......प्रधान आरक्षी केंद्र भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर......वर्ष 2023.......
   प्र.इ.रि.सं.....211.../2023........ दिनांक..........5/8/2023..............
2. (I) अधिनियम...भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा........7......
   (II) अधिनियम.........................–....................... धारा..................–.....................
   (III) अधिनियम.........................–....................... धारा..................–.....................
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धाराएं ....–...
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....94.......समय..........8:00 P.M.
   (ब) अपराध घटने का दिन................04.08.2023............. समय 3.40 पीएम......
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....समय........
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– दक्षिण 02 किलोमीटर।
   (ब) पताः– सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड ग्रामीण चूरू।
   बीटसंख्या.....................जयरामदेही सं..
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.......जिला ......
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री मोहनलाल जांगिड
   (ब) पिता/पति का नाम :– श्री परमेश्वरलाल
   (स) जन्म तिथि/आयु वर्ष :– 39 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि......जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय :– ....
   (ल) पता ... .घण्टेल तह0 व जिला चूरू ....
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   (1) श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी घण्टेल पुलिस थाना सदर चूरू हाल सहायक–प्रथम कार्यालय सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड ग्रामीण चूरू।

[signature]

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई विलम्ब नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .....8,000 रूपये .....
11. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

सेवामे,

श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो
चूरू।

विषयः– श्री देवेन्द्र बाबु व श्री राधेश्याम जेईएन द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बधं में।

महोदय,

निवेदन है कि मै मोहनलाल पुत्र श्री परमेश्वरलाल जांगिड निवासी घण्टेल का हूँ। मैने मेरे घर पर स्थित छोटे कामकाज के लिए बनाये हुऐ लकडी के कारखाने के लिए एनडीएस विद्युत कनेक्शन लेने हेतु दिनांक 26.04.2023 को ऑन लाईन आवेदन किया था। मै कनेक्शन लेने के लिए दिनांक 12.07.22023 को जोधपुर डिस्कॉम ग्रामीण चूरू के कार्यालय में गया तो वहां पर श्री देवेन्द्र बाबु मेरे को मिला। मैने देवेन्द्र जी से मेरे कनेक्शन के बारे में बात की तो देवेन्द्र जी ने मेरे को कहा कि आप एनडीएस कनेक्शन ले रहे हो इसके लिए आपको अलग से डीपी लेनी पडेगी जिसके लिए आपको 30–40 हजार रूपये जमा करवाने पडेगें। मैने जेईएन श्री राधेश्याम से आपके कनेक्शन के बारे में बात की थी तो उन्होने कहा कि अगर आप दस हजार रूपये खर्चे के देते हो तो आपसे 12,400रूपयें का डिमाण्ड नोटिस जारी कर आपका कनेक्शन कर देंगे। मैने कहा कि रूपये ज्यादा है तो देवेन्द्र जी ने कहा कि जेईएन साहब ने मेरे को दस हजार का कहा है आप आठ हजार दे देना आपका डिमाण्ड नोटिस जारी करवाकर आपका कनेक्शन करवा देगें। श्री देवेन्द्र जी बाबु जेईएन राधेश्याम के नाम से मेरा कनेक्शन करवाने के नाम पर मेरे से आठ हजार रूपये रिश्वत के मांग रहा है। मै मेरे सही काम के लिए उसे रिश्वत नही देकर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। आप आवश्यक कार्यवाही करे।

दिनांक 19.07.2023

प्रार्थी
एसडी
श्री मोहनलाल पुत्र परमेश्वरलाल जांगिड
निवासी घण्टेलतह0 जिला चूरू
मो0न0 8000656891

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

दिनांक 19.07.2023 को वक्त 11.30 एएम पर परिवादी श्री मोहनलाल पुत्र श्री परमेश्वरलाल जाति जांगिड उम्र 39 वर्ष निवासी घण्टेल तह0 व जिला चूरू ने हाजिर चौकी होकर उक्त रिपोर्ट श्रीमान डिप्टी साहब श्री शब्बीर खान के पेश करने पर श्रीमान डिप्टी साहब ने मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही बाबत निर्देशित किया हैं। रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवादी मोहनलाल ने दरियाफ्त पर बताया कि मैने मेरे घर पर छोटे लकडी के कारखाने के लिए जागिड फर्नीचर हाउस घण्टेल के नाम से एनडीएस विद्युत कनेक्शन लेने हेतु दिनांक 26.04.2023 को ऑन लाईन आवेदन किया था। उक्त ऑन लाईन किये गये आवेदन की रसीद की प्रति आपको पेश कर रहा हूँ। मैने मेरी रन्दाई मशीन लाकर घर पर रख रखी थी जिसको मैने चालु भी नही किया था। दिनांक 16.06.23 को जेईएन राधेश्याम व अन्य कर्मचारी मेरे घर पर आये तथा मेरे घर पर बंद पडी मशीन की वीसीआर भरकर ले गये। अब मेरे पास बिजली विभाग से वीसीआर की राशि 16,312 रूपये जमा करवाने का नोटिस दिनांक 04.07.2023 प्राप्त हुआ है जिसकी फोटो प्रति मै आपको पेश कर रहा हूँ, उक्त नोटिस की राशि भी अभी तक मैने जमा नही करवाई हैं। मै दिनांक 12.07.2023 को बिजली विभाग कार्यालय ग्रामीण चूरू में गया और देवेन्द्र बाबु से मिला तो देवेन्द्र बाबु ने कहा कि आप के घर पर मशीन चल रही है इसलिए वीसीआर वाले रूपये तो कम होगें नही यह रूपये तो आपको भरने ही पडेगें। मैने मेरे एनडीएस कनेक्शन के बारे में बात की तो उसने कहा कि आप एनडीएस कनेक्शन ले रहो हों इसलिए आपको अलग से डी.पी. लेनी पडेगी जिसके 30–40 हजार रूपये जमा करवाने पडेगें। मैने आपके

कनेक्शन के बारे में जेईएन साहब राधेश्याम जी से बात कर रखी है अगर आप दस हजार रूपये खर्चे के देते हो तो आपका 12,400रूपये का डिमाण्ड नोटिस जारी करवाकर आपका कनेक्शन करवा दुंगा। मैने कहा कि दस हजार रूपये ज्यादा है तो देवेन्द्र जी ने कहा कि जेईएन साहब ने दस हजार का कहा है आप आठ हजार रूपये खर्चे के दे देना आपका कनेक्शन करवा दुंगा। मै देवेन्द्र जी बाबु को आठ हजार रूपये रिश्वत के नही देकर उसे रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरी देवेन्द्र जी व जेईएन राधेश्याम से किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या रंजीश नहीं है और ना ही हमारा कोई आपस का उधार लेन–देन बकाया है। उक्त रिपोर्ट मै मेरे किसी निजी जानकार से लिखवाकर लाया हूँ तथा इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिस पर परिवादी मोहनलाल को रिपोर्ट पढकर सुनाई तो सही होना बताया। परिवादी की रिपोर्ट एव मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्वत मांगने का पाया जाने पर परिवादी श्री मोहनलाल को मांग सत्यापन करवाने के बारे में पुछा गया तो परिवादी ने बताया कि देवेन्द्र जी मेरे को अपने कार्यालय में मिल सकते है जिससे जाकर मै वार्ता कर सकता हूँ। इस पर कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मंगवाया जाकर चैक किया गया तो टेप रिकॉर्डर खाली है जिसमें पूर्व की कोई वार्ता रिकॉर्ड नही हैं। कानि राजकुमार 223 से परिवादी मोहनलाल का आपस में परिचय करवाया गया। टेप रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर मेमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चत किया जाकर परिवादी को टेप रिकॉर्डर को ऑपरेट करने की विधि समझा कर कानि श्री राजकुमार को सुपुर्द कर हिदायत कर परिवादी मोहनलाल व राजकुमार को वार्ता के लिए जोविविनिलि ग्रामीण चूरू कार्यालय के लिए परिवादी की मोटर साईकिल से रवाना किया गया।

वक्त 1.15 पीएम पर परिवादी मोहनलाल व कानि राजकुमार हाजिर कार्यालय आये व कानि राजकुमार ने मन् पुलिस निरीक्षक को टेप रिकॉर्डर सुपुर्द किया। परिवादी मोहनलाल ने बताया कि मै व राजकुमार मेरी मोटर साईकिल से रवाना होकर बिजली विभाग चूरू कार्यालय से पहले नर्मदा बस स्टैण्ड के पास पंहुच मैने कहा कि देवेन्द्र जी से बात करके पता कर लेते है कि ऑफिस में है या नही तो मैने मेरे नम्बर 8000656891 से देवेन्द्र जी के मो0 नम्बर 8112282501 पर बात की तो देवेन्द्र जी ने कहा कि मै कटिंग करवाने नाई की दुकान जो राठौड लॉज के सामने है वहां पर आ गया हूँ आप वहीं आ जाओं जिस पर मै व राजकुमार रवाना होकर राठौड लॉज से पहले पंहुचे। राजकुमार ने टेप रिकॉर्डर चालु कर मुझे सुपुर्द किया तथा राजकुमार वहीं पर आस–पास रूक गया। मै राठौड लॉज के सामने नाई की दुकान पर पंहुचा जहां पर श्री देवेन्द्र जी मुझे मिले। देवेन्द्र जी ने मेरी वीसीआर के बारे में कहा कि इसमें तो आपके रूपये कम नही होंगे आप जितने है उतने जमा करवा दो। वीसीआर के रूपये जमा होने के बाद ही आपको कनेक्शन मिलेगा ऐसे नही मिलेगा। मैने कहा कि कनेक्शन के लिए कितने खर्चे के देने होगें तो देवेन्द्र जी ने कहा कि मैने तो आपको दस का कहा था आपने आठ का कहा था कोई बात नही आठ दे देना तब मैने कहा कि मैने तो आठ हजार का कहा था तब देवेन्द्र जी ने कहा कि चलो ठीक है आठ हजार दे देना। देवेन्द्र जी ने मेरे को कहा कि आपके पांच किलो वाट के विद्युत कनेक्शन के लिए 12,400रूपये का डिमाण्ड नोटिस जारी होगा और 16,200 वीसीआर के और 8,000 यह कुल 36,600 रूपये मेरे को दे देना मै आपके सारे काम करवा दुंगा और पाच–सात दिन में आपका कनेक्शन करवा दुंगा। देवेन्द्र जी ने कहा कि इसमें 12,400रूपये के डिमाण्ड नोटिस और 16,200 वीसीआर की आपको जमा की रसीद मिलेगी। उक्त वार्ता को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया हैं। कानि द्वारा प्रस्तुत टेप रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुना गया तो परिवादी के कथनो की ताईद हुई। परिवादी ने बताया कि देवेन्द्र जी ने कहा कि वीसीआर की राशि जमा होने के बाद ही कनेक्शन की कार्यवाही आगे बढेगी इसलिए मै कल वीसीआर की राशि लेकर जमा करवाने जाउंगा। इस पर परिवादी श्री मोहनलाल को वीसीआर की राशि लेकर कल दिनांक 20.07.2023 को चौकी चूरू पर उपस्थित होने की हिदायत कर रूख्सत किया गया, टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 20.07.2023 को वक्त 11.15 एएम पर परिवादी श्री मोहनलाल हाजिर आया और बताया कि वीसीआर की जमा होने वाली राशि साथ लाया हूँ। कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर जिसमें पूर्व की दिनांक 19.07.23 को हुई वार्ता वाला मेमोरी कार्ड डालकर कानि श्री राजकुमार को सुपुर्द कर हिदायत कर परिवादी मोहनलाल व राजकुमार

को वार्ता के लिए जोविविनिलि ग्रामीण चूरू कार्यालय के लिए परिवादी की मोटर साईकिल से रवाना किया गया।

वक्त 1.20 पीएम पर परिवादी मोहनलाल व कानि राजकुमार हाजिर कार्यालय आये व कानि राजकुमार ने टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी मोहनलाल ने बताया कि मै व राजकुमार मेरी मोटर साईकिल से रवाना होकर बिजली विभाग चूरू कार्यालय से पहले नर्मदा बस स्टैण्ड के पास पंहुचे। राजकुमार ने टेप रिकॉर्डर चालु कर मुझे सुपुर्द किया तथा राजकुमार वहीं पर आस–पास रूक गया। मै बिजली विभाग ग्रामीण चूरू के कार्यालय में पंहुचा जहां पर श्री देवेन्द्र जी मुझे मिले। मैने देवेन्द्र जी को कहा कि वीसीआर वाले रूपये तो जमा करवा देते है तो देवेन्द्र जी ने मेरे को साथ लेकर वीसीआर राशि जमा की रसीद निकलवाई और 16312 रूपये वीसीआर व 418 रूपये बिजली के बिल के कुल 16730 रूपये जमा करवाने का कहा तो मैने उनको रूपये दिये तो उनके पास दस रूपये खुल्ले नही थे तो उन्होने 16740 रूपये जमा कर लिये कहा कि दस रूपये आपके बिल के खातें में जमा कर देते है आगे वाले बिल से कम हो जायेगें। मैने मेरे कनेक्श्न के बारे में पुछा तो देवेन्द्र जी ने कहा कि आपकी वीसीआर जमा हो गई है मेरे को अभी बाकी के रूपये दे देता तो मै अगले सप्ताह में आपका मीटर लगवा देता तब मैने कहा कि आप तो मीटर लगवा दो मै आपको रूपये दे दुंगा कब देने है वो बता दो तो देवेन्द्र जी ने कहा कि आज बृहस्पतिवार है आप सोमवार या मंगलवार तक 12,400रूपये डिमाण्ड नोटिस वाले और 8,000रूपये खर्चे पानी वाले कुल 20,500रूपये बस स्टेण्ड पर जो करणै सैठ का होटल है उस पर करणै का पकडा देना और कहा देना की देवेन्द्र जी को देने है। सोमवार या मंगलवार तक मै यहा तेरे कनेक्शन की कार्यवाही करवाता हूँ। हम दोनो के बीच में हुई उक्त वार्ता को मैने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया हैं। वार्ता के बाद मै रवाना होकर राजकुमार जी के पास आया जिसने टेप रिकॉर्डर बंद किया। कानि द्वारा प्रस्तुत टेप रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुना गया तो परिवादी के कथनो की ताईद हुई। परिवादी ने बताया कि अगर डिमाण्ड नोटिस जारी नही हुआ और उससे पहले ट्रेप कार्यवाही करवा दी गई तो बाद में बिजली विभाग वाले मेरा कनेक्शन नही करेगें तथा करेगें तो भी मेरे से 60–70 हजार रूपये जमा लेकर ही कनेक्शन करेगें। इसलिए मै सोमवार या मंगलवार को देवेन्द्र जी से बात करके मेरे डिमाण्ड नोटिस की प्रति मंगवा लेता हूँ उसके बाद आपके पास आता हूँ। वीसीआर राशि जमा रसीद की फोटो प्रति परिवादी ने पेश की जो शामिल की गई। परिवादी श्री मोहनलाल को सोमवार या मंगलवार तक डिमाण्ड नोटिस की प्रति लेकर चौकी पर उपस्थित होने की हिदायत कर रूख्सत किया गया। टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा गया।

परिवादी से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया गया तो परिवादी मोहनलाल ने बताया कि वह 5–7 दिन खेत के कार्य में व्यस्त हैं। खेत के कार्य से फ्री होते ही आरोपी से डिमाण्ड नोटिस बाबत सम्पर्क कर आपसे सम्पर्क कर लुंगा। दिनांक 31.07.23 को परिवादी मोहनलाल का फोन आया व बताया कि मेरे पास देवेन्द्र जी का उसी नम्बर से व्हाट्सअप कॉल आया है उसने कहा कि आप आये नही, आपका डिमाण्ड नोटिस 11,000रूपये का जारी करवा दिया है, इसलिए 11,000रूपये डिमाण्ड राशि व आठ हजार खर्चे वाले कुल 19,000रूपये लेकर एक–दो दिन में आकर दे जा ताकि आपके कनेक्शन की कार्यवाही अधिकारियों से कहकर जल्दी करवा दूं। मैने कहा कि मै खेत में काम लगा हुआ हूँ जिसके कारण नही आ सका, दो–तीन दिन में आपसे सम्पर्क करता हूँ। इस पर परिवादी को हिदायत की गई थी कि जब भी आरोपी से सम्पर्क करने जाये उससे पहले कार्यालय में उपस्थित आयें।

दिनांक 02.08.2023 को वक्त 11.30 एएम पर परिवादी श्री मोहनलाल हाजिर आया व बताया कि मैने आज देवेन्द्र जी से जरिये व्हाट्सअप मेरा डिमाण्ड नोटिस मंगवाया जिसका मैने प्रिन्ट निकलवाया है जिसकी फोटो प्रति आपको पेश कर रहा हूँ। मेरा डिमाण्ड नोटिस 10,600रूपये का जारी किया हैं। देवेन्द्र जी ने कहा है कि 10,600 रूपये ये और आठ हजार खर्चे वाले लेकर आ जाओ आपका कनेक्शन करवा देता हूँ। इस पर मैने उसको कहा है कि खेत के काम से फ्री होकर एक–दो दिन में आता हूँ। परिवादी मोहनलाल व आरोपी देवेन्द्र कुमार के मध्य रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.07.2023 व 20.07.2023 जो टेप रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को परिवादी व गवाहान के

मोहनlal

समक्ष जरिये कम्प्युटर सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता की दो डीवीडी तैयार करवायी गई जिसमें से एक डीवीडी आरोपी के लिए कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क कमशः 'A-1' अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक डीवीडी को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। टेप रिकॉर्डर मे से मेमोरी कार्ड को निकाल कर मेमोरी कार्ड के कागज के रैपर में डालकर मेमोरी कार्ड को उसके रैपर सहित कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क 'A' अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री मोहनलाल ने बताया कि मैने देवेन्द्र जी को खेत के काम से फ्री होकर एक–दो दिन में आने के लिए कहा हैं, कल या परसों में मै आठ हजार रूपये खर्चे के व 10,600रूपये डिमाण्ड नोटिस के लेकर आपके पास आता हूँ। जिस पर परिवादी को हिदायत की गई कि कल या परसों में आठ हजार रूपये रिश्वती व डिमाण्ड नोटिस वाले 10,600रूपये की व्यवस्था कर उपस्थित आने की हिदायत कर रूख्सत दी गई।

दिनांक 04.08.2023 को वक्त 11.50 एएम पर परिवादी श्री मोहनलाल का व्हाट्सअप कॉल आया कि मेरे मोबाईल नम्बर 8000656891 पर श्री देवेन्द्र जी के मो0 नम्बर 8112282501 से फोन आया है और उसने कहा कि डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करवाने का आज आखरी दिन है। आप आज ही डिमाण्ड नोटिस की राशि व खर्चा लेकर आ जाओ आपका कनेक्शन करवा देता हूँ। जिस पर परिवादी को हिदायत की गई कि आप डिमाण्ड नोटिस की राशि व रिश्वती राशि आठ हजार रूपये लेकर जल्दी ही कार्यालय पहुचे। इस पर परिवादी श्री मोहनलाल हाजिर आया व बताया कि डिमाण्ड नोटिस की राशि 10,600 रूपये व रिश्वत में दिये जाने वाले 8,000रूपये साथ लाया हूँ। पाबंद शुदा श्री प्रदीप कुमार नर्सिग अधिकारी, श्री श्रवण कुमार सिहाग नर्सिग अधिकारी पं0 दीनदयाल उपाध्याय मैडिकल कॉलेज चूरू हाजिर चौकी आये। आमदा दोनो सरकारी गवाहान का परिवादी मोहनलाल से आपस में परिचय कराया गया। परिवादी की रिपोर्ट व सत्यापन वार्ता के तथ्यों से दोनो गवाहों को अवगत कराया गया, जिसे परिवादी ने सही होना बताया।

परिवादी श्री मोहनलाल निवासी घण्टेल ने मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर रिश्वत में दिये जाने वाले आठ हजार रूपये पेश किये जिनका विवरण फर्द में अंकित कर सभी नोटो को अखबार पर रखवाकर श्री प्रवीण कुमार कानि 36 से फिनोफ्थ्लीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी मोहनलाल की बाद जामातलाशी उपरोक्त रिश्वती राशि को मोहनलाल के पहनी पेंट की दाहीनी जेब में श्री प्रवीण कुमार से रखवाई गई। परिवादी को हिदायत की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे। रिश्वत की राशि लेकर आरोपी कहां रखता है उसका ध्यान रखे व अपने कार्य के सम्बधं में वार्ता करें। रिश्वत राशि लेन देन के पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक को निर्धारित ईशारा करें। दोनो गवाहान को निर्देश दिये कि यथा सम्भव परिवादी के आस–पास रहकर रिश्वत के लेन–देन व इस बीच होने वाली वार्ता को कमशः देखने व सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडीयम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल बनाया गया तो पानी रंगहीन रहा। इस रंगहीन घोल में श्री प्रवीण कुमार के हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादीगण व गवाहान को फिनोल्फथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का दृष्टांत देकर महत्व समझाया गया। गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोल्फथलीन पाऊडर लगाया है, को जलाकर नष्ट किया गया। गिलास तथा श्री प्रवीण कुमार के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। दृष्टान्त में प्रयुक्त काच के गिलास व चमच्च को कार्यालय में रखवाये गये। फिनोफ्थ्लीन पाउडर की शिशी सुरक्षित रखवाई गई। नये कांच के गिलास व नई चमच्च ट्रेप बॉक्स में रखे गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों/गवाहों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये जाकर हिदायत मुनासिब की गई। परिवादी मोहनलाल के विद्युत कनेक्शन में सहायक अभियन्ता जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड ग्रामीण चूरू द्वारा 10,600रूपये का मांग पत्र जारी किया गया हैं। परिवादी द्वारा उक्त मांग पत्र की राशि आज ही जमा करवाने बाबत आरोपी देवेन्द्र बाबु द्वारा कहा गया हैं। इसलिए परिवादी के नाम जारी मांग पत्र की प्रति व राशि 10,600रूपये जो परिवादी साथ लाया है इस राशि को जमा करवाने हेतु परिवादी मोहनलाल के पास ही रहने दी गई। परिवादी को रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करनें के लिए कार्यालय के टेप रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर, मेमोरी

कार्ड व टेप रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित किया जाकर सुपूर्द किया गया। रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के लिए परिवादी का मोबाईल उनके पास रहने दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेसकसी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत फिनोल्फथलीन पाऊडर अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

वक्त 3.10 पीएम पर परिवादी श्री मोहनलाल व कानि राजकुमार को परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक, मय दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री प्रदीप कुमार व श्री श्रवण कुमार सिहाग तथा चूरू चौकी का जाप्ता सर्वश्री इसब अली उनि, गिरधारी सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री ओम प्रकाश, श्री राजपाल सिंह, श्री श्रवण कुमार, रिपेन्द्र सिंह, बसन्त सिंह दीपेश कुमार कानिगण मय श्री प्रमोद पूनियां कनिष्ठ सहायक एसीबी चूरू के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर ईत्यादि हमराह लेकर सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह के निजी मोटरसाईकिलो से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही कार्यालय से रवाना सहायक अभियन्ता जोविविनिलि ग्रामीण चूरू के लिए हुआ। श्री प्रवीण कुमार कानि को बाद आवश्यक हिदायत चौकी पर छोडा गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो गवाहों व चौकी के जाप्ते सहित जरिये सरकारी वाहन व मोटरसाईकिलो के रवाना होकर जयपुर रोड पर सहायक अभियन्ता जोविविनिलि ग्रामीण चूरू से पहले पंहुच गाडियों को साईड में रूकवाया जाकर गोपनीय रूप से परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुआ।

वक्त 3.28 पीएम पर परिवादी श्री मोहनलाल ने मन् पुलिस निरीक्षक को रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक दोनों गवाहान मय ट्रेप दल सदस्यो को साथ लेकर जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड ग्रामीण चूरू परिसर में बालाजी मंदिर से दक्षिण में बने पार्क में परिवादी व एक अन्य व्यक्ति खडे है जिनके पास पंहुचा। परिवादी मोहनलाल से रिश्वत लेन–देन के समय हुई वार्ता का टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया गया। परिवादी मोहनलाल ने अपने पास खडे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यहीं देवेन्द्र जी हैं। मै आज देवेन्द्र जी के पास कार्यालय में गया तो इन्होने कैश काउन्टर पर बैठे हुऐ मुझे कहा कि आपकी डिमाण्ड राशि जमा कराओ, आज अंतिम तिथि हैं। तब मैने अपनी जेब में रखे 10,600रूपये मांग पत्र के देवेन्द्र जी को दिये जिन्होने मेरे से पैसे लेकर रसीद बनाकर मुझे दी व मेरे कनेक्शन की पत्रावली जो इनके पास थी उस पर रसीद नम्बर व तारीख लिखी। उसके पश्चात मै व देवेन्द्र जी दोनो मंदिर के पास पार्क में गये व पार्क के बाहर चाय की दुकान वाले को कहकर चाय मंगवाकर पीयी। देवेन्द्र जी ने मुझसे पूर्व की वार्तानुसार खर्चे के रूपये मांगे तो मैने अपनी जेब से 8,000रूपये निकाल कर कहा कि कुछ तो कम कर दो तो देवेन्द्र जी ने कहा कि 5,00रूपये कम करता हूँ, 7,500रूपये दे दे तो मैने इन रूपयों में से 5,00रूपये का एक नोट रखते हुऐ साढे सात हजार रूपये देवेन्द्र जी को दिये तो इन्होने मेरे से रूपये लेकर गिनकर अपनी पहनी पेंट की साईड की दाहीनी जेब में रख लिये। देवेन्द्र जी मेरे से रूपये लेने के बाद मैने आपको ईशारा कर दिया। परिवादी द्वारा बताये गये इस व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर इसका परिचय पूछा तो यह व्यक्ति एकदम से घबरा गया व अपना नाम श्री देवेन्द्र सिंह सहायक–प्रथम/काउंटर कैशियर कार्यालय सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड ग्रामीण चूरू होना बताया। देवेन्द्र सिंह को परिवादी मोहनलाल से 8,000रूपये रिश्वत लेने बाबत पूछा तो देवेन्द्र सिंह ने कहा कि इसके बिजली कनेक्शन के लिए डिमाण्ड राशि ली हैं। डिमाण्ड राशि की रसीद कटने बाबत तथा डिमाण्ड राशि के अतिरिक्त परिवादी से लिये रूपयों बाबत पुछा तो देवेन्द्र सिंह ने बताया कि मोहनलाल मेरे गांव का है यह मेरे से एक साल पहले उधार रूपये लेकर गया था वह उधार राशि आज मुझे इसने दी हैं जो मेरी पेंन्ट की साईड की दाहीनी जेब में हैं। इस पर हाजिर परिवादी मोहनलाल ने बताया कि देवेन्द्र जी झूठ बोल रहे है। मैने देवेन्द्र जी से कभी कोई रूपये उधार नही लिये, मैने अप्रेल 2023 में एनडीएस कनेक्शन की फाईल एईएन ग्रामीण चूरू के कार्यालय में जमा कराई थी। जिसमें राशि जमा कराने का मांग पत्र जारी करवाकर मौके पर बिजली कनेक्शन करवाने के लिए पहले 12,400रूपये डिमाण्ड राशि व दस हजार रूपये खर्चे के कुल 22 हजार 400 रूपये मांगे थे बाद में मेरे निवेदन करने पर देवेन्द्र जी ने अपने खर्चे से दो हजार रूपये कम करते हुऐ 8,000रूपये देने के लिए कहा तथा कहा कि डिमाण्ड राशि में कोई गुंजाईस होगी तो कम करवा दुंगा। दिनांक 02.08.2023 को मै देवेन्द्र जी से बात कर डिमाण्ड पत्र की फोटो मोबाईल पर प्राप्त की जिसके अनुसार डिमाण्ड पत्र की राशि 10,600रूपये थी। आज देवेन्द्र जी ने मुझे फोन कर कहा कि तेरा डिमाण्ड जारी

हो गया आज अंतिम तारीख हैं डिमाण्ड राशि जमा करवा दो तथा मैने जो कहा था वो काम भी साथ कर देना। इस पर मै 10,600रूपये डिमाण्ड राशि के देवेन्द्र को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा इनके साथ पार्क में जाकर इनके मांगने पर मैने कुछ कम करने की कही जिस पर इन्होने पांच सौ रूपये कम करते हुऐ 7,500रूपये मेरे से रिश्वत के रूप में प्राप्त किये हैं। देवेन्द्र सिंह के द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर आरोपी देवेन्द्र सिंह का दायां व बांया हाथ क्रमशः बसंत सिंह व दीपेश कुमार कानिगण ने कलाईयों के उपर से पकड लिये। देवेन्द्र सिंह के ज्यौ के त्यौ हाथ पकडे–पकडे सामने सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड ग्रामीण चूरू के कार्यालय पंहुच ट्रेप कार्यवाही के कम कांच के नये दो साफ गिलासो में साफ पानी भरकर इनमें एक–एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा। एक गिलास के घोल में आरोपी देवेन्द्र सिंह के दाहीने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क R–1, R–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी देवेन्द्र सिंह के बायें हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क L–1, L–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर गवाह प्रदीप कुमार ने आरोपी देवेन्द्र सिंह के पहनी पेंट की जेबों की तलाशी ली तो पेंट की साईड की दाहीनी जेब में पांच–पांच सौ रूपये के नोट मिले। उक्त नोटो को गवाह से गिनवाया गया तो 7,500रूपये होने पाये गयें। उक्त बरामद रिश्वती राशि के नोटो के नम्बर पूर्व में बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान दोनो गवाहो से करवाया गया तो नोटो के नम्बर वही पाये गये। आरोपी से बरामद रिश्वती राशि के नोटो का विवरण इस प्रकार है :–

1	एक नोट पांच सौ रूपये का नोट नम्बर	1RN 623177
2	———— ————————	6LE 419597
3	———— ————————	9UP 640520
4	———— ————————	0KT 799564
5	———— ————————	3PH 405232
6	———— ————————	7BM 307988
7	———— ————————	8BK 072013
8	———— ————————	8RG 161291
9	———— ————————	5TW 607622
10	———— ————————	4DM 845510
11	———— ————————	5SH 689436
12	———— ————————	1PE 121347
13	———— ————————	1PR 383991
14	———— ————————	8HD 265350
15	———— ————————	4EV 464942

उपरोक्त 7,500 रूपयों के नोटो को खुले कपडे में सील्ड कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। परिवादी मोहनलाल द्वारा निर्देशानुसार अपनी शर्ट की जेब से पांच सौ रूपये का एक नोट निकाल कर पेश किया। उक्त नोट के नम्बर पूर्व में बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी में अंकित नोट के नम्बर से मिलान दोनो गवाहो से करवाया गया तो नोट के नम्बर वहीं पाये गये। परिवादी द्वारा पेश किये गये नोट का विवरण इस प्रकार है :–

1	एक नोट पांच सौ रूपये का नोट नम्बर	1DA 504419

उपरोक्त 500 रूपये के नोट को खुले कपडे में सील्ड कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। आरोपी देवेन्द्र सिंह के लिए एक लॉवर की व्यवस्था करवाकर पहनी पेंट बरंग ग्रे को उतरवाकर इस पेंट की साईड की दाहीनी जेब को उलटवाकर प्रकियानुसार सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त रंगहीन घोल में धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को दो साफ

शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क P–1, P–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। आरोपी देवेन्द्र सिंह की उक्त पेंट बरंग ग्रे को धागे में सील्ड व चिट चस्पा कर पेंट पकैट बतौर वजह सबूत जप्त की गई। परिवादी मोहनलाल द्वारा अपने कनेक्शन के सम्बधं में मांग पत्र की राशि 10,600रूपये जमा करवाने पर काउंटर कैशियर देवेन्द्र सिंह द्वारा दी गई रसीद पेश की। उक्त रसीद का अवलोकन किया गया तो रसीद प्राप्ति कमांक 31041201333699 दिनांक 04.08.2023 को मोहनलाल पुत्र परमेश्वरलाल घण्टेल के नाम 10,600रूपये की जारी कर कैशियर के स्थान पर देवेन्द्र सिंह ने अपने हस्ताक्षर कर रखे हैं। उक्त मूल रसीद पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा में ली गई। परिवादी मोहनलाल के विद्युत कनेक्शन से सम्बंधित पत्रावली के बारे में पूछने पर देवेन्द्र सिंह सहायक–प्रथम ने बताया कि उक्त पत्रावली मे मैने मांग पत्र की राशि जमा की थी इसलिए मेरे कैश काउंटर पर रखी हैं। इस कैश काउंटर से श्री मुकेश कुमार सहायक अभियन्ता से पत्रावली मंगवाई जाकर उक्त पत्रावली के सम्बधं में पूछने पर श्री मुकेश कुमार सहायक अभियन्ता ने बताया कि श्री मोहनलाल के द्वारा उक्त पत्रावली नवम्बर 2022 में एनडीएस विद्युत कनेक्शन के लिए कार्यालय में ऑन लाईन प्राप्त हुई थी, परन्तु आवेदन के 40 दिन तक आवेदक द्वारा पत्रावली की हार्डप्रति कार्यालय में प्रस्तुत नही करने पर ऑनलाईन आवेदन निरस्त हो गया था। श्री जयसिंह हैल्पर–I/सहायक उपभोक्ता लिपिक ने दिनांक 27.07.2023 को री–ओपन किया हैं। लाईनमैन दीपक सैनी व कनिष्ठ अभियन्ता राधेश्याम के हस्ताक्षर से बनाया तकमिना लगा है। पत्रावली में ऑन लाईन 10,600रूपये का मांग पत्र सहायक अभियन्ता के डिजिटल हस्ताक्षरो से जारी किया है। उपभोक्ता श्री मोहनलाल ने आज उक्त मांग पत्र की राशि कैशियर श्री देवेन्द्र सिंह को जमा करवाई हैं। रसीद पर देवेन्द्र सिंह काउंटर कैशियर के हस्ताक्षर हैं। कार्यालय में उपस्थित श्री जयसिंह हैल्पर–I/सहायक उपभौक्ता लिपिक उपखण्ड ग्रामीण चूरू ने पूछने पर बताया कि दिनांक 27.07.2023 को कांउटर कैशियर श्री देवेन्द्र सिंह ने मुझे कहा कि मोहनलाल निवासी घण्टेल की एनडीएस की पत्रावली री–ओपन करनी हैं वह मेरा दोस्त है तब मैने पत्रावली को ऑन लाईन री–ओपन किया था। री–ओपन करने के बाद मोहनलाल के नाम की पत्रावली मुझे देवेन्द्र सिंह ने दी जिसमें लाईनमैन व कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा बनाया तकमिना लगा था। तकमिने के अनुसार मैने उक्त पत्रावली में ऑन लाईन 10,600रूपये का मांग पत्र सहायक अभियन्ता के डिजिटल हस्ताक्षरो से जारी किया था, मांग पत्र की एक प्रति जो आवेदक को भेजी जानी थी वह प्रति मैने देवेन्द्र सिंह को दे दी थी। उक्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां श्री मुकेश कुमार सहायक अभियन्ता से प्राप्त कर मूल पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही सहायक अभियन्ता को सुपुर्द की गई। कार्यालय में हाजिर श्री राधेश्याम कनिष्ठ अभियन्ता ने बताया कि दिनांक 27.07.2023 को कार्यालय का देवेन्द्र सिंह सहायक मेरे पास मोहनलाल जांगिड के नाम से एनडीएस कनेक्शन की पत्रावली लेकर आया था तथा मुझे कहा कि यह मेरे गांव का है इसे कनेक्शन जल्दी देना है इसलिए एस्टीमेंट पर साईन कर दो। मैने पत्रावली में लगा एस्टीमेट देखा तो उसमें लाईनमैन दीपक सैनी के हस्ताक्षर थे। मैने तकमिना पर कनिष्ठ अभियन्ता के स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर उसी दिन पत्रावली वापस देवेन्द्र सिंह को दे दी थी। मैने देवेन्द्र सिंह को यह नही कहा था कि उपभौक्ता मोहनलाल से उसके कनेक्शन के कार्य बाबत कोई खर्चा पानी लेना है तथा यह वार्ता मैने आवेदक मोहनलाल को भी नही कही थी। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से तैयार की गई।

परिवादीगण व गवाहान के सामने घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर आरोपी देवेन्द्र सिंह सहायक–प्रथम को हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफतार किया गया। वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील नम्बर–11 की नमूना सील फर्द अलग से तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी मोहनलाल, दोनो गवाहान व जाप्ता तथा गिरफ्तार मुल्जिम देवेन्द्र सिंह के तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्त वजह सबूत हमराह लेकर जरिये सरकारी व निजी मोटरसाईकिलों से रवाना होकर चौकी चूरू पंहुचा। ट्रेप कार्यवाही में जप्त वजह सबूत जरिये गिरधारी सिह प्रभारी मालखाना के जमा मालखाना कराये गये।

परिवादी श्री मोहनलाल व आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह के मध्य वक्त रिश्वत लेन–देन के समय हुई वार्ता जो टेप रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को परिवादी व

गवाहान के समक्ष सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता की दो डीवीडी तैयार करवायी गई जिसमें से एक डीवीडी आरोपी के लिए कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क कमशः 'B-1' अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक डीवीडी को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। टेप रिकॉर्डर मे से मेमोरी कार्ड को निकाल कर मेमोरी कार्ड के कागज के रैपर में डालकर मेमोरी कार्ड को उसके रैपर सहित कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क 'B' अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। वजह सबूत को जमा मालखाना करवाया गया। पीतल की सील को जरिये फर्द नष्ट किया गया। परिवादी व दोनो गवाहान को रूखस्त दी गई। उक्त ट्रेप में समय–समय पर की गई कार्यवाही का एक रनिंग नोट तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया।

उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के समस्त तथ्यों से पाया गया कि परिवादी श्री मोहनलाल निवासी घण्टेल ने अपने घर पर अघरेलु सेवा विद्युत कनेक्शन के लिए नवम्बर 2023 में आवेदन किया था जो कार्यालय सहायक अभियन्ता जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड ग्रामीण चूरू में विचाराधीन था। उक्त विद्युत कनेक्शन हेतु राशि का मांग पत्र जारी करवाकर विद्युत कनेक्शन करवाने की एवज मे देवेन्द्र सिंह सहायक–I/काउंटर कैशियर के द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुऐ अपने वैद्य प्रारिश्रमिक से भिन्न परिवादी से आठ हजार रूपये रिश्वत की मांग कर व मांग के अनुशरण में दिनांक 04.08.2023 को अपने कार्यालय परिसर में परिवादी को देने की कही जिस पर परिवादी द्वारा कुछ रूपये कम करने की कहने पर 500रूपये कम करने का कहते हुऐ 7,500रूपये रिश्वत के परिवादी से प्राप्त कर अपनी पेंट की जेब में रख लिये। जिस पर देवेन्द्र सिंह सहायक–प्रथम को रंगे हाथों पकड़ा जाकर रिश्वती राशि 7,500रू. उसकी पेंट की जेब से बरामद कर तथा 500रूपये परिवादी द्वारा पेश करने पर जब्त की गई। श्री देवेन्द्र सिंह सहायक–प्रथम कार्यालय सहायक/काउंटर कैशियर सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड ग्रामीण चूरू का उक्त कृत्य धारा 7 भ्र0नि0 अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्ट्या अपराध घटित होना पाया जाता है।

अतः श्री देवेन्द्र सिंह सहायक–प्रथम कार्यालय सहायक/काउंटर कैशियर सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम उपखण्ड ग्रामीण चूरू के विरूद्ध धारा 7 भ्र0नि0 अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं।

(महेन्द्र कुमार)
पुलिस निरीक्षक,
भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म, अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व.श्री इन्द्र सिंह, सहायक-प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम, उपखण्ड ग्रामीण चूरू के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 211/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

5.8.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2498-2501 दिनांक 5.08.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश,भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर बीकानेर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. सचिव(प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू।

5.8.23

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।